राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1100/2024

भावना शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, G-3/1, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर।
3. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.02.2024
आदेश की दिनांक : 19.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नीरज कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में छात्रावास अधीक्षक के पद पर राजकीय देवनारायण बालिका छात्रावास, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, उच्चैन, जिला भरतपुर किया गया है। उनका

कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में कार्यरत हैं और स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति–पत्नी दोनो राजकीय सेवा में कार्यरत हैं तो उनका स्थानान्तरण एक ही स्थान पर अथवा नजदीक स्थान पर किया जाना चाहिये। अपीलार्थी के एक पुत्र है जो 5वीं कक्षा में अध्ययनरत है, जिसकी देखभाल के लिये अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 250 कि.मी. दूर किया गया है। इस प्रकार जारी किया गया आलोच्य आदेश विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन छात्रावास अधीक्षक के पद पर राजकीय देवनारायण बालिका छात्रावास, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, उच्चैन, जिला भरतपुर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी वर्ष 2014 से एक ही स्थान पर पदस्थापित थी और 10 वर्ष लम्बे समय अंतराल बाद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है और आलोच्य आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण रिक्त पद पर प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकता अनुसार किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की पारिवारिक परेशानियों का प्रश्न है, अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the*

facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 250 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य